

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 609

(जिसका उत्तर सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है।)

“आयकर भरना”

609. श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः
श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान वित्त वर्ष में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के कितने व्यक्तियों ने आयकर भरा है;
- (ख) उक्त अवधि में उपर्युक्त आयुवर्ग से वेतन से प्राप्त आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से हुआ लाभ और लाभ से हुई आय, पूंजीगत लाभ से आय और अन्य स्रोतों से हुई आय की मदों में कितना आयकर एकत्र किया गया;
- (ग) इसी अवधि में 18 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्तियों ने आयकर भरा है; और
- (घ) इसी अवधि के दौरान 18 वर्ष से कम आयु वर्ग से वेतन से प्राप्त आय, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से हुआ लाभ और उससे प्राप्त आय, पूंजीगत लाभ से आय और अन्य स्रोतों से हुई आय के मदों में कितना आयकर एकत्र किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 31 जनवरी, 2023 तक व्यक्तियों (18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक) के द्वारा भरी गई कुल आयकर विवरणियां (आईटीआर): **2,09,06,829**
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, आईटीआर में भरी गई या दर्शायी गई कुल आय के आधार पर कर परिकलित और संग्रहीत किया जाता है। कुल आय में विभिन्न शीर्षों से आय जैसे कि वेतन से आय, घरेलू संपत्ति से आय, कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभांश से आय, पूंजी अभिलाभों से आय और अन्य स्रोतों से आय, शामिल है। विभिन्न शीर्षों के तहत अलग से कर संग्रहीत नहीं किया जाता है।
धन वापसी के दावे से पूर्व फाइल किए गए आईटीआर के अनुसार भुगतान किये गये सकल करों का योग : 93,318 करोड़ रुपये ।

- ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 31 जनवरी, 2023 तक व्यक्तियों (18 वर्ष से कम आयु वर्ग) के द्वारा भरी गई कुल विवरणियां: 4,861
- घ) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, आईटीआर में भरी गई या दर्शायी गई कुल आय के आधार पर कर परिकलित और संग्रहीत किया जाता है। कुल आय में विभिन्न शीर्षों से आय जैसे कि वेतन से आय, घरेलू सम्पत्ति से आय, कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभांश से आय, पूंजी अभिलाभों से आय और अन्य स्रोतों से आय, शामिल है। विभिन्न शीर्षों के तहत अलग से कर संग्रहीत नहीं किया जाता है।

धन वापसी के दावे से पूर्व फाइल किए गए आईटीआर के अनुसार भुगतान किये गये सकल करों का योग : 6.31 करोड़ रुपये ।
